को तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया था जहां आजीवन क़ैदियों ने मंत्री महोदय से अपनी कठिनाइयों तथा उन की कारावास-अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी सरकार द्वारा उन्हें रिहा न किये जाने के बारे में शिकायतें की थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन की शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय की सेवा में एक अभिनन्दनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें कुछ प्रश्न उठाये गये थे ।

(ख) और (ग). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT—6168 / 66]।

आजीवन कैदी

4553. **श्री ना० नि० पटेल :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बाल्मीकी :
श्री बड़े :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती गगा देवी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती बसन्त कुंवर बा :
श्री सोलंकी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के आजीवन कैदियों को छूट की अवधि सहित 20 वर्ष जेल में रहना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के कैदियों को उन की नियत दण्ड अवधि पूरी होने पर भी अपनी मर्जी से जेल में रोक सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो आजीवन कैदियों की छूट सहित अवधि समाप्त हो जाने पर रिहा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री (पू० शे० नास्कर) : (क) तथा (ख). कानून की दृष्टि से आजीवन कारावास का तात्पर्य बन्दी के शेष जीवन के लिये कारावास से है, जब तक कि संबंधित सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन उसका परिहार न किया जाय । केवल परिहार की अवधि निकालने के लिये आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास समझा जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अध्यापकों के ग्रेड

4554. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लगभग 300 अध्यापकों को 1 जनवरी, 1955 से 120–8–200–10–300 का ग्रेड नहीं